रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 129] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 4, 1999/ज्येष्ठ 14, 1921

No. 129] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 4, 1999/JYAISTHA 14, 1921

11/11/99

नागर विमानन मंत्रालय

(आई ए अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जून, 1999

सं. एवी. 18030/3/97-एसीआईए.—भारत सरकार ने दिनांक 25-5-1993 से वायुदूत लि० का बैंकों, अन्य सार्वजनिक उपक्रमों जैसे सार्वजनिक क्षेत्रों तथा केन्द्र सरकार में देनदारों को वायुदूत द्वारा ऋण ली गई देय राशि की अदायगी तथा सर्विसिंग के सम्बन्ध में एक पांच वर्षीय अधिस्थगन काल सहित इंडियन एयरलाइन्स के साथ विलय करने के विषय में निर्णय लिया था। तदनुपरांत, ये देनदारियां इंडियन एयरलाइन्स द्वारा भारत सरकार के दिनांक 25-5-1993 के आदेश सं. एवी 18030/44/92-एसीवीएल के तहत 10(दस) वार्षिक किश्तों में चुकता करनी थी।

अब, केन्द्र सरकार ने और दो वर्ष के लिए यानी 24-5-2000 तक की अवधि तक अधिस्थगन काल प्रदान करने का निर्णय लिया है। सार्वजनिक क्षेत्र यानी केन्द्र सरकार, एयरलाइन्स, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लि०, आयल कंपनियों तथा बैंकों आदि में देनदारों को वायुदूत द्वारा ऋण ली गई सभी देय राशियों को 25-5-98 से अगले दो वर्ष की अवधि तक अवरुद्ध रखना होगा। इस तरह, देय राशियों की अदायगी और सर्विसिंग के सम्बन्ध में कुल सात वर्ष का अधिस्थगन कालावधि होगी। तदनुपरांत, ये देनदारियां इंडियन एयरलाइन्स द्वारा 10 (दस) वार्षिक किश्तों में चुकाई जाएंगी। यदि किसी किश्त के भुगतान में कोई विलम्ब होगा तो उस चूक राशि पर उस समय की बैंक दर के अनुसार ब्याज की अदायगी करनी होगी।

आज्ञा पाल सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

(IA Section)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd June, 1999

No. AV. 18030/3/97-ACIA.—The Government of India had decided to merge Vayudoot Ltd. with Indian Airlines Ltd. w.e.f. 25-5-1993 with a moratorium of five years on repayment and servicing of dues owed by Vayudoot to creditors in public sectors such as banks, other public enterprises and Central Government. Thereafter, liabilities were to be discharged by Indian Airlines in 10 (Ten) annual instalments vide Government of India Order No. AV. 18030/44/92-ACVL dated 25-5-1993.

Now, the Central Government has decided to allow a further moratorium of 2 years i.e. upto 24-5-2000. All dues owed by Vayudoot to creditors in the Public Sector i.e. Central Government, Airlines, Airports Authority of India, Hindustan Aeronautics Ltd., Oil Companies and Banks etc. would remain frozen for another period of two years with effect from 25-5-1998. There will thus be a moratorium of a total period of seven years on repayment and servicing of dues. Thereafter, the liabilities will be discharged by Indian Airlines in 10 (Ten) annual instalments. In case of a delay in payment of any instalment, interest, at the bank rate prevailing at that time would be payable on the defaulted amount.

A. P. SINGH, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054—1999.